

राजस्व अपील संख्या 165/2017

अनवान

भागुराम वगैरा बनाम भानाराम वगैरा

दिनांक 4-7-2022

पत्रावली आज पेश हुई । वर्तमान अपील में अपीलांत को बहस हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी बहस नहीं की जा रही है । आज भी अपीलांत अधिवक्ता को न्यायालय समय में बार-बार व तीन बार आवाजें दिलवाई गईं परंतु अपीलांत अधिवक्ता आज बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः उक्त अपील अपीलांत की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है । पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

